क्वैस्ट–यू0जी0सी0–एच0आर0डी0सी0, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
Volume 14, Issue 1, January-April 2020 : 10-26

DOI: 10.5958/2249-0035.2020.00003.0

IndianJournals.com

शोध पत्र

उत्तराखण्ड में उद्यमिता : सम्भावनाऐं एवं चुनौतियाँ

पी.एन. तिवारी[1]* एवं पी.सी. सुयाल[2]

Received: 19-11-2019; Accepted: 07-01-2020

सारांश

आधुनिक युग औद्योगीकरण का युग है व्यापक व सम्पूर्ण औद्योगीकरण के बिना कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता है। सम्पूर्ण भारत की जनसंख्या अबाधगति से निरन्तर बढ़ रही है और उत्तराखण्ड राज्य में भी यह क्रम जारी है। राज्य में नित्य बढ़ती आबादी से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या एक विकराल रूप ले चुकी है, जिससे लगातार राज्य से पलायन बड़ता जा रहा है। इस समस्या का एक ही हल है, कि सम्पूर्ण राज्य का औद्योगीकरण किया जाय। औद्योगीकरण के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के सम्पूर्ण हिस्से में छोटे और बड़े दोनों प्रकार के उद्योगों का जाल बिछाया जाय। जिससे राज्य के सभी भागों का समान रूप से औद्योगिक विकास हो, आम जनता को इसका लाभ मिले तथा औद्योगीकरण से राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। इसी उद्देश्य से सभी ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़ें इलाकों तथा दूरदराज पहाड़ी एवं मैदानी भागों में जहाँ अभी तक औद्योगिक विकास नहीं हो सका है वहाँ छोटे–बड़े उद्योग–धन्धों की स्थापना पर विशेष बल दिया जा सके। राज्य की समस्त भागों में औद्योगिक वातावरण उपलब्ध हो सके इसके लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे है। वृहद राजकीय प्रतिष्ठानों तथा फर्मों की स्थापना भी की जा रही है। जिससे वहाँ नये अनुभवहीन व्यक्ति छोटे उद्योग लगाने का साहस जुटा सके। इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या का कुछ हल निकल सकेगा और पलायन को रोका जा सकेगा। ऐसी आशा की जानी चाहिए। जिस क्षेत्र में जिस उद्योग का कच्चा माल पैदा होता है, वहाँ पर वो उद्योग स्थापित किया जाय। उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत प्रकार की जड़ी–बूटियाँ पैदा होती हैं। इसी तरह के अनेक संसाधन राज्य की सम्पदा में शामिल है। आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें व्यावसायिक रूप दिया जाय, जिससे राज्य की आय तो बढ़ेगी ही, साथ ही राज्य के युवाओं को रोजगार भी मुहैय्या होगा और पलायन पर भी लगाम लगेगी।

प्रमुख शब्दः उद्यमिता, बेरोजगारी, व्यावसाय, औद्योगिक, अर्थव्यवस्था

उद्यमी शब्द का उद्भव

उद्यमी शब्द का उद्गम फ्रेन्च भाषा के शब्द 'एण्ट्रीपेण्ड्रे' (Entrependre) से हुआ है, जिसका अर्थ है नए व्यवसाय के जोखिम को वहन करना (under look the risks of enterprise), इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में फ्रांस में प्रमुख अभियानों (Expeditions) के लिए श्री रिचर्ड केण्टीलोन (Richard Cantillon) ने अपने लेखन कार्य में किया था। उन्होंने उद्यमी का वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया था, जो किसी उत्पाद को बेचने के लिए उसके मूल्य का भुगतान करता है। अतएव ऐसा व्यक्ति ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का जोखिम

[1,2]एसोसिएट प्रोफेसर, कॉमर्स विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रूद्रपुर
*Corresponding author email id: drpntiwarirudra@gmail.com

उठाता है। अमेरिका में प्रायः उद्यमी उस व्यक्ति को माना जाता है जो अपना स्वयं का नया व्यवसाय प्रारम्भ करता है, जबकि जर्मनी में उद्यमी उस व्यक्ति को कहा जाता है, जिसके पास सत्ता एवं सम्पत्ति अधिक मात्रा में होती है। वर्तमान में आर्थर कोल का यह कथन बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है कि उद्यमी का अध्ययन करना आर्थिक क्रियाओं में मुख्य पात्र का अध्ययन करना है। एक उद्यमी वास्तव में समाज का सच्चा नायक एवं आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों का अग्रदूत (Harbinger) माना जाने लगा है। किसी देश की व्यावसायिक सफलता का निर्धारण उद्यमियों द्वारा नव–प्रवर्तन (Innovation) से लेकर रचनात्मक कार्यों के आधार पर ही होती है। वर्तमान में विश्व स्तर पर फोर्ड, रॉकफेलर, कारनेगी, वॉटसन, मोरगेन, किसलर, टाटा, बिरला, जिन्दल, डालमिया, धीरू भाई अम्बानी, आदि उद्यमियों के कारण ही इनकी संस्थाओं के नाम प्रचलित हुए हैं।

यद्यपि विभिन्न विद्वानों ने उद्यमी को विभिन्न नामों से पुकारा है, अर्थात् उद्यमी का अर्थ जोखिम उठाने वाला (Risk Bearer) प्रवर्तक (Promoter) यानि कि उपक्रम की स्थापना करने वाला स्वामी (Owner) या प्रबन्धक (Manager), संगठनकर्त्ता (Organiser) या समन्वयकर्त्ता (Co-ordinator) से लगाया जाता रहा है, परन्तु वर्तमान में उद्यमी को नवप्रवर्तक (Innovator) तथा उद्योग एवं व्यावसायिक जगत का आर्थिक अगुआ (Economic-Leader) कहा जाता है।

उद्यमी का अर्थ (Meaning of Entrepreneur)

उद्यमी एक जड़ एवं मृत अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार करता है। वर्षों से निरन्तर घाटे पर चल रहे उद्योगों की पुनः स्थापना करता है। उसमें नवाचार (Innovation), नियोजन (Planning) तथा कुशल प्रबन्ध (Efficient Management) का संचार करता है और अन्ततः उसे लाभप्रद (Profitable) इकाई के रूप में परिवर्तित करता है। विद्वान अर्थशास्त्री मार्शल (Marshall) के अनुसार "उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, क्योंकि वह जोखिम एवं निश्चितता का केवल वाहक ही नहीं होता, वरन एक प्रबन्धक भविष्य द्वारा नई उत्पादक विधियों का आविष्कारक (Innovator) एवं किसी देश के आर्थिक ढाँचे का निर्माता/आविष्कारक भी होता है। सरल शब्दों में उद्यमी से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी नवीन उपक्रम की स्थापना करने का जोखिम उठाता है, आवश्यक संसाधन एकत्रित करता है, (जैसे मानव शक्ति, सामग्री एवं पूँजी आदि) तथा उसका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण करता है। यद्यपि जोखिम उठाना उद्यमी का प्रारम्भिक कार्य है, किन्तु आधुनिक युग में उसे और भी कार्य सम्पन्न करने पड़ते हैं, जैसे नेतृत्व, सृजनात्मकता नवाचार. सम्बन्धी कार्य।

प्रस्तुत शोध पत्र के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के उद्यमिता के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत व खोजपूर्ण विश्लेषण किया गया है। उद्यमिता से सम्बन्धित नवीन तथ्यों की खोज की गयी है तथा उद्यमिता की सम्भावनाओं को जानने का प्रयास किया गया है। उत्तराखण्ड में उद्यमिता में व्याप्त कमियों को खोजने का प्रयास किया गया है तथा उन्हें दूर करने हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गये है।

शोध समस्या

किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक यह है कि राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और राज्य की आर्थिक स्थिति तभी सुदृढ़ होगी जब उस राज्य के निवासियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा राज्य के निवासियों की आर्थिक स्थिति तब सुदृढ़ होगी जब उस राज्य के निवासियों में उद्यम की प्रवृति हो तथा उद्यमिता की भावना हो। उत्तराखण्ड की प्रगति तभी सम्भव हो सकती है जब उत्तराखण्ड के नागरिकों में उद्यमिता की भावना जागृत हो और उत्तराखण्ड में उद्यम स्थापित हों। उत्तराखण्ड में उद्यमिता का स्तर अस्थाई है जिस स्तर की उद्यमिता किसी विकसित राज्य के लिए आवश्यक होती है, वह स्तर उत्तराखण्ड में अल्प विकसित स्थिति में है।

इस समस्या के समाधान का एक मात्र उपाय उद्यमिता का विकास ही है तथा उद्यमिता बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इस

समस्या को अनदेखा नहीं किया जा सकता, अतः प्रस्तुत शोध पत्र के अन्तर्गत इस भयावह समस्या से निपटने तथा उद्यमिता का विकास करने हेतु उत्तराखण्ड में उद्यमिता की दशा एवं दिशा का अध्ययन किया गया है तथा इस अध्ययन द्वारा सम्पूर्ण समाज में उद्यमिता के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किये गये है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है –

1. उद्यमिता के विषय में विस्तृत जानकारी देना, उद्यमिता की विशेषताओं का अध्ययन करना।
2. अध्ययन क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी को कम करने के लिए उद्यमिता की सम्भावनाऐं तलाशना।
3. उद्यमिता के विकास में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

हम जिस क्षेत्र में शोध कर रहे हैं। उस क्षेत्र के साहित्य का गहन अध्ययन आवश्यक होता है। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के दौरान हमें उस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं एवं आवश्यकताओं का आभास हो सकता है। हम यह पता लगा सकते हैं कि किन समस्याओं पर पहले कार्य हो चुका है और उनके कौन–कौन से आयामों पर अभी कार्य किया जा सकता है।

एस.पी. मिश्रा 1996 के शोध के द्वारा उत्तराखण्ड में उद्यमिता की सम्भावनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इन्होने उत्तराखण्ड में उद्यमिता से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की सम्भावनाओं का खोजपूर्ण अध्ययन किया है।

अरूण कुकसाल 2004 के द्वारा उत्तराखण्ड में उद्यमिता के विकास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता के स्तर का बोध होता है। इनके शोध के द्वारा यह ज्ञात होता है कि किसी प्रदेश में किस प्रकार से उद्यमिता का विकास होना चाहिए।

प्रो0 नागेन्द्र पी सिंह ने अपनी पुस्तक इन्टरप्रन्योर बनाम इन्टरप्रन्योरशिप में अध्ययन किया कि उद्यमिता क्या होती है तथा उद्यमी कौन होते है। इनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि उद्यमिता उद्यमी से किस प्रकार भिन्न है तथा किस प्रकार समान है। इनके अध्ययन से सफल उद्यमी के गुण, कार्य, एवं लक्षणों का ज्ञान होता है।

पी. राम कृष्णन 1975 के साहित्य अध्ययन से ज्ञात होता है कि छोटे स्तर के उद्यमों को किस प्रकार विकसित किया जाए, प्रो. पी. राम कृष्णन ने अपने अध्ययन "न्यू इन्टरप्रन्योरशिप इन स्मॉल–स्केल इण्डस्ट्री इन दिल्ली" में स्मॉल–स्केल के उद्योगों की समस्या एवं उनके समाधान पर विस्तृत अध्ययन किया है।

डी0 एन. मिश्रा 1990 के अध्ययन से ज्ञात होता है कि किस प्रकार से किसी क्षेत्र में उद्यमियों तथा उद्यमिता का विकास होगा। उद्यमियों एवं उद्यमिता के विकास से सम्बन्धित योजनाओं का प्रतिपादन श्री मिश्रा जी ने किया।

वाई.डी. वैष्णव 1977 के अध्ययन के द्वारा कुमाऊँ मण्डल क्षेत्र इतिहास के विषय में विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। श्री वैष्णव जी के अध्ययन के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल का जिले वार इतिहास का महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। इनके अध्ययन से कुमाऊँ मण्डल में पाई जाने वाली भौगोलिक, सांस्कृतिक, जातियाँ, प्रजातियाँ, सामाजिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है।

अकबर एम. 1990 के अध्ययन के द्वारा भारत में मुस्लिम उद्यमियों में वृद्धि करने हेतु एवं उनके विकास के लिये विभिन्न प्रकार के उपायो का प्रतिपादन श्री एम. अकबर ने किया। इनके अध्ययन के द्वारा यह ज्ञात होता है कि किसी समाज के विशेष वर्ग के उद्यमियों में वृद्धि को किन उपायों के द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

आंकड़ो एवं सूचनाओं का संग्रहण

- प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक समकों के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण किया गया है यथा प्रकाशित

पुस्तकें, प्रतिवेदन, शोध पत्र, चयनित औद्योगिक इकाईयों के वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध होने पर द्वितीय स्त्रोत के रूप में प्रयोग किया गया है तथा विषय से सम्बन्धित बेवसाइट का प्रयोग भी किया गया है।

- प्रस्तुत शोध कार्य मे आँकड़ों का संकलन, सम्पादन, विश्लेषण तथा निर्वचन कर निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है। आवश्यकतानुसार विभिन्न सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है एवं आकड़ों को चित्रों, ग्राफों एंव सारणीयों द्वारा प्रदर्षित किया गया है।
- उपरोक्त के आधार पर सस्तुतियां प्रस्तुत किये गये है।

राज्य में उद्यमिता एवं रोजगार की स्थिति

उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना 9 नवम्बर 2000 में हुई, वर्ष 2019 में राज्य उद्योग निदेशालय द्वारा शष्ठम आर्थिक गणना में 8 या अधिक कार्यरत व्यक्तियों वाले उद्यमों की निर्देशिका तैयार की गयी। राज्य में 8 या अधिक कार्यरत व्यक्तियों वाले कुल उद्यम 11,761 पाये गये, जो कुल उद्यमों का 3 प्रतिशत है, ऐसे उद्यमों में कुल 4,09,140 व्यक्ति कार्यरत् पाये गये।

तालिका–1 के अनुसार 8 या अधिक कार्यरत व्यक्तियों वाले ग्रामीण उद्यमों की संख्या 5907 है, जो कुल ग्रामीण

तालिका–1: राज्य में उद्यम एवं रोजगार

जनपद	ग्रामीण			नगरीय			संयुक्त		
	उद्यमों की कुल संख्या	8 या अधिक व्यक्तियों वाले उद्यमों की संख्या	8 या अधिक व्यक्तियों वाले उद्यमों का प्रतिशत	उद्यमों की कुल संख्या	8 या अधिक व्यक्तियों वाले उद्यमों की संख्या	8 या अधिक व्यक्तियों वाले उद्यमों का प्रतिशत	उद्यमों की कुल संख्या	8 या अधिक व्यक्तियों वाले उद्यमों की संख्या	8 या अधिक व्यक्तियों वाले उद्यमों का प्रतिशत
उत्तरकाशी	9981	204	2.0	2008	56	2.8	11989	260	2.2
चमोली	12229	217	1.8	3932	146	3.7	16161	363	2.2
रूद्रप्रयाग	7529	159	2.1	928	41	4.4	8457	200	2.1
टिहरी	15054	372	2.5	3463	168	4.9	18517	540	2.9
देहरादून	21384	854	4.0	40595	1783	4.4	61979	2637	4.3
पौड़ी	16762	498	3.0	5865	227	3.9	22627	725	3.2
पिथौरागढ़	17137	251	1.5	5397	129	2.4	22534	380	1.7
बागेश्वर	7472	149	2.0	1127	23	2.0	8599	172	2.0
अल्मोड़ा	22316	345	1.5	3400	114	3.4	25716	459	1.8
चम्पावत	7581	150	2.0	3251	57	1.8	10832	207	1.9
नैनीताल	18058	487	2.7	15830	596	3.8	33888	1083	3.2
ऊ.सिं.नगर	29333	950	3.2	30660	1171	3.8	59993	2121	3.5
हरिद्वार	47134	1271	2.7	45753	1343	2.9	92887	2614	2.8
कुल	**231970**	**5907**	**2.5**	**162209**	**5854**	**3.6**	**394179**	**11761**	**3.0**

स्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

उद्यमों का 2.5 प्रतिशत है। नगरीय उद्यमों की कुल संख्या में 8 या अधिक कार्यरत व्यक्तियों वाले उद्यमों की संख्या 5854 है, जो कुल नगरीय उद्यमों का 3.5 प्रतिशत है। जनपद हरिद्वार में सर्वाधिक 2614 उद्यम पाये गये, जो कुल उद्यमों का 2.8 प्रतिशत है। जनपद उधमसिंह नगर में 2121 तथा जनपद देहरादून में ऐसे उद्यमों की संख्या 2637 है, जो क्रमशः 3.5 तथा 4.3 प्रतिशत है।

जनपदवार 8 या अधिक कार्यरत व्यक्तियों वाले उद्यमों की स्थिति रेखाचित्र–1 द्वारा प्रदर्शित की गयी है–

उद्यमों में रोजगार (8 या अधिक कार्यरत व्यक्तियों वाले)

समस्त क्रियाकलापों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 1050575 में 8 या अधिक कार्यरत व्यक्तियों वाले उद्यमों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 409140 है जो कुल कार्यरत व्यक्तियों का 38.9 प्रतिशत है। जनपदवार कुल कार्यरत व्यक्तियों तथा 8 या अधिक कार्यरत व्यक्तियों वाले उद्यमों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या तालिका–2 में दी गयी है –

उक्तानुसार सर्वाधिक 145640 कार्यरत व्यक्तियों की संख्या जनपद हरिद्वार में पायी गयी जनपद देहरादून में 78829, जनपद ऊधमसिंहनगर में 97526 तथा नैनीताल में 23173 व्यक्ति कार्यरत पाये गये जो जनपद में कार्यरत कुल व्यक्तियों का क्रमशः 50.1, 41.8, 49.4 तथा 27.6 प्रतिशत है।

8 या अधिक कार्यरत व्यक्तियों वाले उद्यमों में कार्यरत व्यक्तियों की जनपदवार स्थिति चित्रारेख–2 द्वारा प्रदर्शित की गयी है –

कार्यरत वृहत उद्योगों की अद्यतन स्थिति

प्रदेश में माह जनवरी, 2019 तक कार्यरत् वृहत उद्योगों की संख्या 293 है, जिनमें रू0 36,388.38 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 1,05,827 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

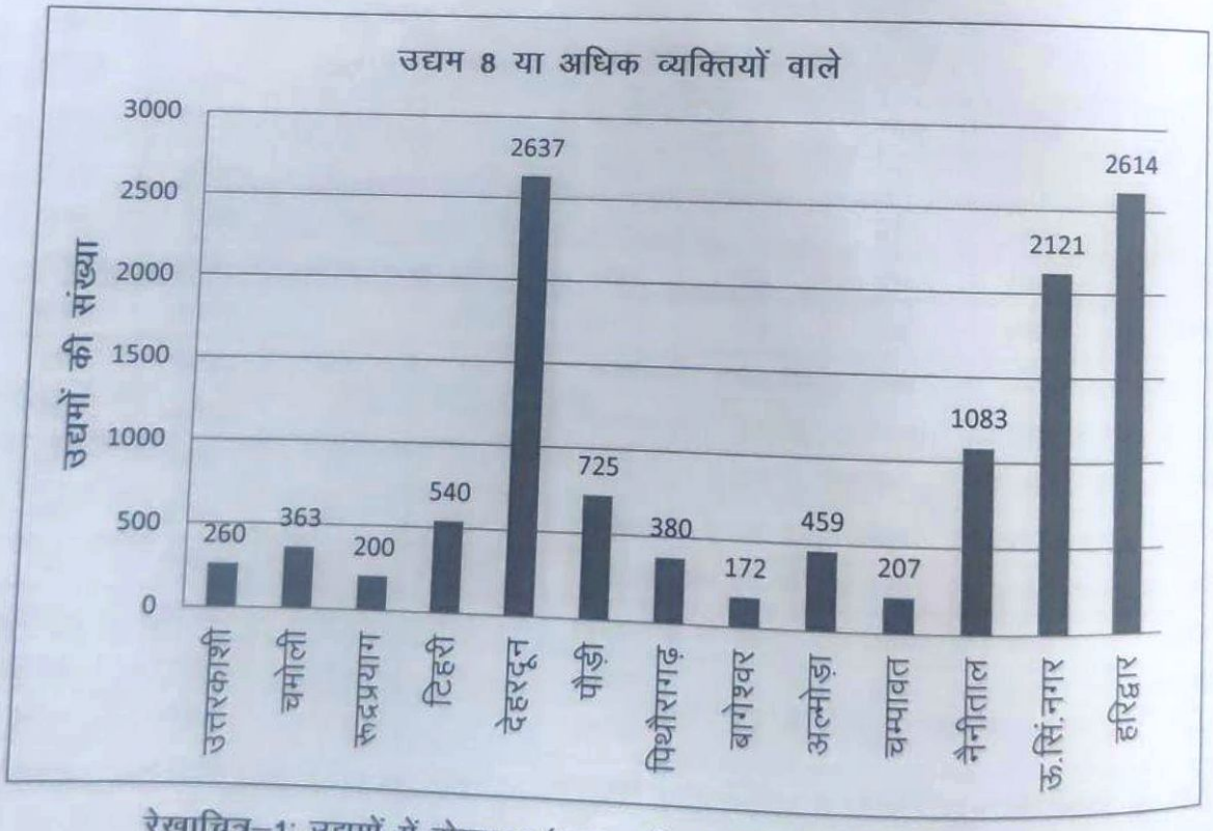

रेखाचित्र–1: उद्यमों में रोजगार (8 या अधिक कार्यरत व्यक्तियों वाले)

तालिका–2: उद्यमों में जनपदवार कार्यरत व्यक्तियों की संख्या (8 या अधिक कार्यरत व्यक्ति)

जनपद	ग्रामीण			नगरीय			संयुक्त		
	कुल उद्यमों में रोजगार	8 या अधिक व्यक्तियों वाले उद्यमों में रोजगार	8 या अधिक व्यक्तियों वाले उद्यमों में रोजगार का प्रतिशत	कुल उद्यमों में रोजगार	8 या अधिक व्यक्तियों वाले उद्यमों में रोजगार	8 या अधिक व्यक्तियों वाले उद्यमों में रोजगार का प्रतिशत	कुल उद्यमों में रोजगार	8 या अधिक व्यक्तियों वाले उद्यमों में रोजगार	8 या अधिक व्यक्तियों वाले उद्यमों में रोजगार का प्रतिशत
उत्तरकाशी	19901	3176	16.0	4550	1041	22.9	24451	4217	17.2
चमोली	22180	3607	16.3	9535	2801	29.4	31715	6408	20.2
रूद्रप्रयाग	14476	3171	21.9	2331	685	29.4	16807	3856	22.9
टिहरी गढ़वाल	31633	6762	21.4	9975	4222	42.3	41608	10984	26.4
देहरादून	61217	26686	43.6	127540	52143	40.9	188757	78829	41.8
पौड़ी गढ़वाल	36792	10176	27.7	15575	5057	32.5	52367	15233	29.1
पिथौरागढ़	28012	4187	14.9	11274	2676	23.7	39286	6863	17.5
बागेश्वर	13139	2402	18.3	2421	402	16.6	15560	2804	18.0
अल्मोड़ा	39769	6267	15.8	9842	4028	40.9	49611	10295	20.8
चम्पावत	13181	2365	17.9	5354	947	17.7	18535	3312	17.9
नैनीताल	41971	10748	25.6	41856	12425	29.7	83827	23173	27.6
ऊ.सिं.नगर	86365	38568	44.7	110882	58958	53.2	197247	97526	49.4
हरिद्वार	130523	61902	47.4	160281	83738	53.2	290804	145640	50.1
कुल	**539159**	**180017**	**33.4**	**511416**	**229123**	**44.8**	**1050575**	**409140**	**38.9**

स्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड में उद्यमिता एवं रोजगार की सम्भावनायें

राज्य में उद्यमिता एवं रोजगार की अपार सम्भावनायें विद्यमान हैं। राज्य प्राकृतिक सम्पदा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। राज्य का अधिकतर भाग हिमालय पर्वत श्रृंखला से लगा हुआ है, यहाँ पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं, जिनसे दवाईयाँ बनाई जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अनेकानेक प्राकृतिक सम्पदायें हैं, जिसका प्रयोग उद्यमिता के लिये किया जा सकता है। उत्तराखण्ड में गंगा, यमुना, रामगंगा, काली, टौंस आदि नदियों का उद्गम स्थान है, ये नदियाँ अपने साथ अनेक प्राकृतिक संसाधनों को लेकर आगे बढ़ती हैं, जिसका प्रयोग भवन निर्माण आदि कार्यों के लिए किया जाता है। राज्य का 65 प्रतिशत भू–भाग वनाच्छादित है, जिसमें अनेक प्रकार के वृक्ष, जड़ी बूटियाँ, खनिज, पत्थर आदि पाया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रकृति ने उत्तराखण्ड राज्य को दिल खोलकर प्राकृतिक संसाधन दिये हैं। राज्य में उद्यमिता एवं रोजगार की अपार सम्भावनायें विद्यमान है। जो निम्नवत् हैं –

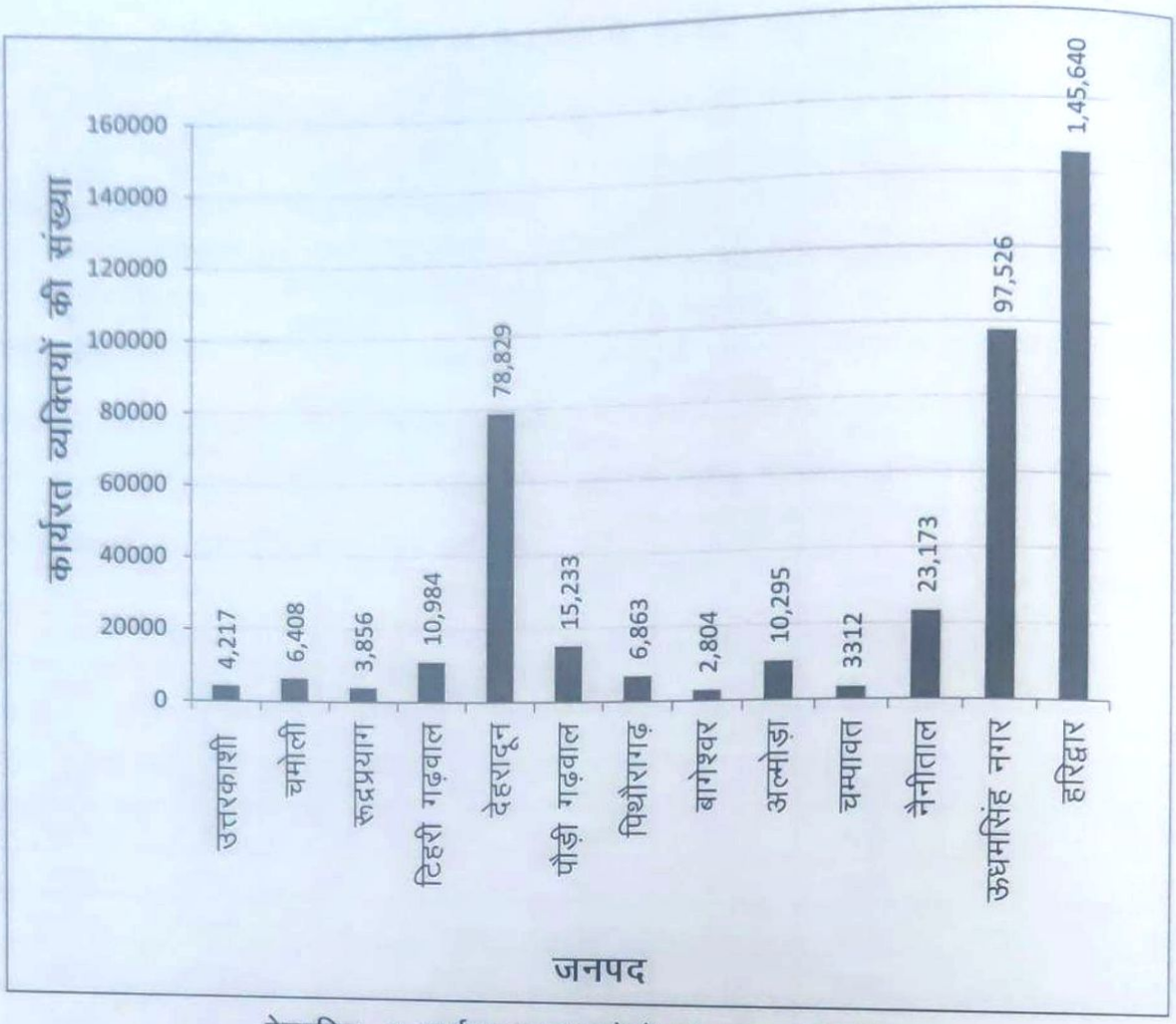

रेखाचित्र–2: कार्यरत वृहत उद्योगों की अद्यतन स्थिति

1. पर्यटन उद्योग– उत्तराखण्ड को पर्यटन प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की नैसर्गिक सुन्दरता को देखने के लिए पर्यटक दूर–दूर से यहाँ भ्रमण के लिये आते हैं। राज्य में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, फूलों की घाटी, हेमकुण्ड साहिब आदि विश्व प्रसिद्ध धाम हैं, जहाँ लाखों की संख्या में श्रृद्धालु प्रत्येक वर्ष आते हैं। ट्रैकिंग, योगा, पर्वतारोहण, राटिंग आदि गतिविधियों के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। टिहरी डैम पर्यटन का एक नया केन्द्र बन चुका है। नैनीताल, कौसानी, ग्वालदम, बिनसर, बागेश्वर, रानीखेत, जागेश्वर, टिहरी, पौड़ी, श्रीनगर, उत्तरकाशी, गोपेश्वर, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी एवं रूद्रप्रयाग आदि स्थानों पर वर्ष भर पर्यटकों का

तालिका–3: वृहत उद्योगों की स्थिति जनपदवार

जनपद	कार्यरत इकाईयां		
	संख्या	पूंजी विनियोजन (करोड़ रू. में)	रोजगार
देहरादून	20	519.96	4479
हरिद्वार	112	17672.16	56431
ऊधमसिंहनगर	155	14410.39	40664
नैनीताल	3	3669.01	3469
पौड़ी	3	116.86	784
योग	**293**	**36388.38**	**105827**

स्रोतः औद्योगिक विकास विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड।

तालिका–4: राज्य में कार्यरत वृहत उद्योगों की स्थिति

विवरण	कार्यरत इकाईयां		
	संख्या	पूंजी विनियोजन (करोड़ रू. में)	रोजगार
उत्तराखण्ड राज्य बनने से पूर्व (प्रारम्भ से 8.11.2000 तक)	38	8293.67	29151
उत्तराखण्ड राज्य बनने से अब तक (प्रारम्भ से 8.11.2000 तक)	255	28094.71	76676
योग	293	36388.38	105827

अवागमन रहता है। पर्यटन व्यवसाय में स्व–रोजगार की अपार सम्भावनायें विद्यमान हैं, जैसे होटल, रैस्टोरेन्ट, टैक्सी संचालन, होम–स्टे, गाईड, घोड़ा गाड़ी, पालकी आदि। सरकार द्वारा पर्यटन व्यवसाय में स्व–रोजगार हेतु वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के माध्यम से ऋण भी दिया जा रहा है, जिससे नौजवान अपना भविष्य पर्यटन उद्योग में बना सकते हैं।

2. जड़ी–बूटी उद्योग– जैव विविधता के लिए जाने जाने वाले उत्तराखण्ड में जड़ी बूटी उद्योग के पनपने की अपार सम्भावनायें हैं, जिसकी माँग पूरे विश्व में है। समस्या इस बात की है कि अभी तक सरकार द्वारा कोई ठोस योजना बनाकर इस क्षेत्र में काम नहीं किया जा रहा है। निर्यात की सम्भावना पर हुए सेमिनार में पिछले दिनों यह मामला उठा, जिसमें उद्यमियों ने साफ कहा कि जरूरत प्राथमिकता तय करने की है, राज्य के पर्वतीय जिलों में करीब 2000 एकड़ जमीन जड़ी–बूटी उद्योगों के लिए चिन्हित की गई है। जिस पर उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है।

3. फर्नीचर एवं इमारती लकड़ी उद्योग– आधुनिक युग में फर्नीचर के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। आज हर व्यक्ति सुख–सुविधायें चाहता है, फर्नीचर के लिये कच्ची सामग्री हमारे वनों से ही प्राप्त होती है। फर्नीचर बनाने के लिए साल, सागौन, सानड़, शीशम, चीड़, देवदार की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। राज्य में अनेक लोग फर्नीचर उद्योग से जुड़े हुए हैं। फर्नीचर एवं इमारती लकड़ी उद्योग की राज्य में अपार सम्भावनायें हैं, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है।

4. कागज उद्योग– राज्य में वर्तमान में 31 कागज उद्योग कार्यरत हैं, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ये सभी कागज उद्योग मैदानी क्षेत्रों में विद्यमान हैं। यदि पर्वतीय क्षेत्रों में भी कागज उद्योग स्थापित किये जायें, तो पर्वतीय क्षेत्र में अनेकों लोगों को रोजगार मिल सकता है, जिससे पलायन पर लगाम लगायी जा सकती है। राज्य के 65 प्रतिशत भू–भाग में वन हैं, जिससे उद्योग के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध हो सकती है।

5. लाख (लीसा) उद्योग– लाख (लीसा) उद्योग राज्य का बहुत पुराना उद्योग है। यहाँ पर चीड़ के वनों की अत्यधिक संख्या है, चीड़ के पेड़ों से ही लाख पैदा होती है, जिसके लिए वन विभाग द्वारा लाख (लीसा) निकालने के लिए प्रत्येक वर्ष टैण्डर निकाले जाते हैं। वर्तमान में राज्य में 178 इकाईयाँ लाख (लीसा) को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग कर तारपीन तेल बनाकर विक्रय करती है। राज्य के कुल लाख (लीसा) उत्पादन के 50 प्रतिशत का ही प्रयोग यह उद्योग कर पाते हैं। बाकी लाख कच्ची सामग्री के रूप में विक्रय कर दी जाती है। यदि लाख उद्योगों की संख्या बढ़ायी जाये, तो इसमें रोजगार की सम्भावनायें बढ़ सकती हैं।

6. खनिज आधारित उद्योग– उत्तराखण्ड में पायी जाने वाली खनिज सम्पदा व खनिज पदार्थ अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है, यहाँ खनिज संसाधनों की कमी है। उत्तराखण्ड राज्य के वन क्षेत्र में स्थित खदानों से खनिजों का खनन उत्तराखण्ड वन विकास निगम (UFDC) द्वारा किया जाता है। राज्य में चूना पत्थर, संगमरमर, मैग्नेसाइट, यल्क, खड़िया, चौक, फास्फेट, फास्फोरस, डोलोमाइट, सेल खड़ी, गंधक, जिप्सम, लोहा, ताँबा, सिलिका सैण्ड, ग्रेफाइट, सोना, चाँदी एवं यूनेरियम राज्य के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर में कई जगहों पर पाया जाता है। राज्य में उपरोक्त खनिज सामग्री उपलब्ध होने से यहाँ अनेक प्रकार के उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है, जिसमें सरकार के सहयोग से लोहा, ताँबा, सीमेन्ट, पाउडर, आदि उद्योगों को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित किया

जा सकता है, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार मिल सकता है और पलायन को रोका जा सकता है।

7. पन बिजली उत्पादन– राज्य गंगा, यमुना, सरस्वती, काली, पिण्डर, टौंस, रामगंगा आदि नदियों का उद्गम स्थल है। वर्तमान में गंगा एवं भिलंगना के संगम पर टिहरी बाँध का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 29 बाँध राज्य की नदियों में प्रस्तावित है, इस कार्य हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार बाँधों के निर्माण को गति देगी, तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा तथा राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। बिजली उत्पादन से राज्य को राजस्व भी प्राप्त होगा।

8. जैम, जैली एवं जूस उद्योग– राज्य में नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़ फल पट्टी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर सेव, संतरा, नाशपाती, आम, अमरूद, पुलम, खुमानी, आलूबुखारा, लीची, काफल, बुराँश, हिसालू, किरमोड़ा, मेहल, माल्टा आदि का उत्पादन बहुत होता है। राज्य के नौजवान स्व–रोजगार के लिए उपरोक्त फलों से जैम, जैली, जूस एवं अचार बनाने के लिए प्लाण्ट लगा सकते हैं, जिससे अनेकों लोगों को रोजगार मिल सकता है और राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है।

9. बाँस और रिगांल आधारित लघु उद्योग– उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में अनेक क्षेत्रों में बाँस एवं रिगांल का बहुतायत मात्रा में उत्पादन होता है, जिससे फर्नीचर एवं गृह उपयोगी सामग्री का उत्पादन किया जा सकता है। इसमें डलिया, टोकरी, चटाई, आदि का निर्माण काश्तकारों द्वारा किया जाता है, यदि इसे उद्योग के रूप में परिणित किया जाये, तो इसमें रोजगार की अपार सम्भावनायें विद्यमान हैं; क्योंकि हम प्लास्टिक मुक्त भारत की कल्पना कर रहे हैं, यदि रोजमर्रा में प्लास्टिक का प्रयोग बन्द होगा, तो निश्चित ही बाँस एवं रिगाल से बनी सामग्री का प्रयोग बढ़ेगा। खादी ग्रामोद्योग द्वारा इस क्षेत्र में पहल की जा चुकी है, कुछ समय पूर्व खादी ग्रामोद्योग द्वारा बाँस की बोतलों का निर्माण किया जा चुका है, जिससे प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग कम होगा और बाँस की बोतलों की माँग बढ़ेगी।

10. पैकेजिंग उद्योग– उत्तराखण्ड राज्य का 65 प्रतिशत भू–भाग वनाच्छादित है, जिसमें अनेक प्रकार के वन हैं, वनों से हमें पैकेजिंग हेतु कच्ची सामग्री मिल सकती है। वर्तमान में सैकड़ों पैकेजिंग लघु उद्योग एवं मध्यम उद्योग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। पैकेजिंग हेतु तुन, आम, यूकेलिप्टिस, पॉपलर, नाशपाती, चीड़, उतीस, बुराँश, घास आदि का प्रयोग कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है। पैकेजिंग उद्योग आज भी मैदानी क्षेत्रों तक सीमित है, युवाओं को इस ओर पहल करनी चाहिये कि पर्वतीय क्षेत्रों में पैकेजिंग उद्योग स्थापित करें। जिसके लिए सरकार भी मदद दे रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार तो मिलेगा ही साथ ही पलायन से भी निजात मिलेगी।

11. फूलों की खेती– राज्य के पर्वतीय भू–भाग की जलवायु फूलों के उत्पादन हेतु अनुकूल है। पॉली हाउस के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में फूलों की खेती की जा सकती है। इसके लिए सरकार द्वारा पॉली हाउस बना कर दिया जाता है, युवाओं को पुष्प उत्पादन में आगे आने की आवश्यकता है। उत्तराखण्ड में विविध प्रकार के फूलों की खेती की जा रही है, आवश्यकता है तो इसे व्यवसाय के रूप में अपनाये जाने की। राज्य के फूलों की माँग दिल्ली, देहरादून, लखनऊ, मेरठ, आगरा आदि स्थानों में बहुत ज्यादा है।

12. कृषि वानिकी / बागवानी– उत्तराखण्ड में 65 प्रतिशत भू–भाग में वन हैं, 35 प्रतिशत भू–भाग पर विकास की गंगा के साथ खेत खलिहान हैं, आज से दशकों पहले राज्य में खेती की जमीन के आधार पर सम्पन्नता का पैमाना तय होता था। उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद यहाँ नये–नये प्रयोग हुए, इन परियोजनाओं पर अरबों रुपये पानी की तरह बहाया गया, जैसे लेमनग्रास, जिरेनियम, जेटोफा आदि–आदि। राज्य में नर्सरियों का बड़ा बाजार है, मत्स्य, कुक्कुट, भेड़, बकरी, डेयरी उद्योग के साथ चारा उत्पादन की भी प्रबल सम्भावनायें हैं, जरूरत है शुरूआत

में सशक्त नींव की कागजों से जमीन में उतरने की। टैम्प्रैल सब–ट्रॉपिकल के साथ ट्रॉपिकल क्षेत्रों में अलग–अलग दीर्घकालीन माइक्रो प्रोजेक्ट बनाकर उनके कृषिकरण उत्पादन और विपणन की श्रृंखलाओं का कुशलतापूर्वक मॉनिटरिंग कर एक नई शुरूआत करना। कृषि वानिकी के सामाजिक हिस्से को लेकर जड़ी–बूटी का सिंगल विण्डो सिस्टम विकसित किया जाय।

13. डेरी फार्मिंग– उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के पास पर्याप्त कृषि भूमि एवं वन भूमि है, जिसमें गाय एवं भैंसों का पालन कर डेरी फार्मिंग की जा सकती है। राज्य में दुग्ध उत्पादन की सम्भावनाओं को देखते हुए सरकार द्वारा नाबार्ड (NABARD) के माध्यम से डेरी फार्मिंग के लिए आसानी से ऋण मिल जाता है। नौजवानों के लिए डेरी फार्मिंग स्व–रोजगार का एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

14. मधुमक्खी पालन– मधुमक्खी मानव जाति की सबसे बड़ी मित्र होने के साथ छोटी सी मधुमक्खी ने प्रकृति के विकास में बड़ा योगदान दिया है। मधुमक्खी मधुर एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ अर्थात शहद का उत्पादन करती है। लीची, नींबू प्रजातीय फलों, अमरूद, बेर, आड़ू, सेब इत्यादि एवं अन्य दलहनी और तिलहनी फसलों में मधुमक्खियों द्वारा परागण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परीक्षणों से यह भी जानकारी मिली है कि पर–परागण के बाद जो फसल पैदा होती है, उन दानों का वजन एवं पौष्टिकता अधिक होती है। इससे स्पष्ट होता है कि मधुमक्खियाँ केवल शहद ही पैदा नहीं करती, वरन् फसलों की पैदावार भी बढ़ाती है। मधुमक्खी पालन के लिए राज्य सरकार द्वारा सहयोग भी किया जाता है। उत्तराखण्ड राज्य में मधुमक्खी पालन की अपार सम्भावनायें विद्यमान हैं, जो रोजगार का एक अच्छा माध्यम हो सकती है।

15. रेशम उत्पादन– रेशम ऊँचे दाम किन्तु कम मात्रा का एक उत्पाद है, जो विश्व के कुल वस्त्र उत्पादन का मात्र 0.2 प्रतिशत है। चूंकि रेशम उत्पादन एक श्रम आधारित उच्च आय देने वाला उद्योग है तथा इसके उत्पाद के अधिक मूल्य मिलते हैं, अतः इसे राज्य के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण साधन समझा जाता है। रोजगार सृजन हेतु, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में तथा विदेशी मुद्रा कमाने हेतु लोग इस उद्योग पर विश्वास करते हैं। राज्य में रेशम उत्पादन की अपार सम्भावनायें विद्यमान हैं। कपड़ा उद्योग को ध्यान में रखते हुए आने वाले वर्षों में इसकी माँग में और वृद्धि होने की सम्भावना है। भारत सरकार द्वारा रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सन् 1948 में रेशम उद्योग बोर्ड का गठन किया गया है, जो रेशम उत्पादकों को वित्तीय एवं तकनीकि सहायता देता है।

16. मशरूम उत्पादन– भारत में लगातार मशरूम की माँग में इजाफा हो रहा है, इसे देखते हुए मशरूम के बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता है। वैसे तो मशरूम के उत्पादन में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन जितनी माँग है, उसे देखते हुए यह बहुत कम है। हालांकि अब गाँव ही नहीं अपितु शहरों में भी शिक्षित युवा मशरूम उत्पादन को कैरियर के रूप में अपनाने लगे हैं। मशरूम की खेती को छोटी जगह और कम लागत में शुरू किया जा सकता है और लागत की तुलना में मुनाफा कई गुना ज्यादा होता है। बेरोजगारों के लिए यह क्षेत्र फायदेमंद साबित हो सकता है। राज्य सरकार मशरूम उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रही है। मशरूम उत्पादन की राज्य में अपार सम्भावनायें हैं, इस क्षेत्र में बेरोजगारों को भविष्य तलाशना चाहिये।

17. चाय की खेती– पिछले कुछ सालों में पहाड़ों पर जंगली सुअर और बन्दरों से परेशान होकर किसान खेती छोड़ रहे हैं, ऐसे में चाय की खेती किसानों के लिए फायदेमन्द साबित हो सकती है। इसे जंगली जानवर भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, पहाड़ों पर सबसे ज्यादा काम महिलायें ही करती हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए चाय की बिक्री फायदेमंद साबित हो सकती है। चाय की खेती में ये फायदा होता है कि इसे एक बार लगाने पर कई साल तक मुनाफा लिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के नौजवानों के

लिए चाय की खेती रोजगार का एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। देश में असम, उत्तराखण्ड, बिहार, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों में चाय की खेती की जा रही है। राज्य सरकार को चाय की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिये।

18. मुर्गी पालन/पोल्ट्री फार्म– मुर्गी पालन आज तेजी से विकसित हो रहा व्यवसाय है, इसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति सुगमता से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकता है। मुर्गी पालन व्यवसाय मुख्य रूप से माँस और अण्डे के लिए किया जाता है। अण्डा उत्पादन कारोबार से आय प्राप्त करने में छह माह का समय लग जाता है, जबकि बॉयलर पालन से दो माह में ही आय अर्जित होने लगती है। मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए सरकार ऋण तो उपलब्ध कराती ही है, साथ ही अनुदान भी देती है। उत्तराखण्ड राज्य के नौजवानों के लिए स्वरोजगार का यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

19. मत्स्य पालन– उत्तराखण्ड में मछली पालन के जरिये किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। बाजार में भारी माँग को देखते हुए अधिक मुनाफा कमाने के लिए किसान उत्तराखण्ड में मत्स्य विभाग की मदद ले सकते हैं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में टाउट मछली पैदा होती है, जिसकी बाजार में अच्छी माँग है। इसकी कीमत रूपये 1000 से 2000 प्रति किलो है। बेरोजगार नौजवान मत्स्य पालन में स्वरोजगार को अपना सकते हैं। इसके लिए मत्स्य विभाग तकनीकि एवं वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है।

20. भेड़ एवं बकरी पालन– पर्वतीय क्षेत्रों में बकरी एवं भेड़ पालन, पशुपालकों की आय सृजन का मजबूत आधार बन रहा है। बिखरी जोत खेती को वन्य जीवों से हो रहे नुकसान के कारण किसान खेती और उद्यान गतिविधियों से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में पशुपालन का व्यवसाय आमदनी का जरिया बन रहा है। ऐसे भी पशुपालक हैं, जो बकरी एवं भेड़ पालन के व्यवसाय को अपना कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। आज पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार पलायन बढ़ रहा है। पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा भेड़, बकरी पालन के लिए ऋण की सुविधा भी नाबार्ड (NABARD) के माध्यम से प्रदान की जा रही है। यह भी स्व–रोजगार का एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

उत्तराखण्ड में उद्यमिता विकास की चुनौतियाँ

राज्य के उद्यमियों को उद्यमिता विकास के लिए अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाये, तो निश्चित रूप से उत्तराखण्ड में उद्यमिता का विकास किया जा सकता है, जिससे रोजगार में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही पलायन को भी रोका जा सकेगा। उद्यमिता विकास में बाधक चुनौतियाँ निम्नवत् हैं –

1. बुनियादी सुविधाओं का अभाव– उत्तराखण्ड राज्य का गठन 9 नवम्बर, 2000 को हुआ था। वर्तमान में राज्य को स्थापित हुए 19 साल हो चुके हैं, उत्तराखण्ड राज्य में 16826 गाँव हैं, जिसमें आज भी 27 प्रतिशत गाँवों में सड़क नहीं पहुँच पायी है। सड़क न होने के कारण इन गाँवों में लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित नहीं किये जा सकते हैं, यदि पास के कस्बों में लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित किये भी जायें, तो इन गाँवों से कच्ची सामग्री लाने की समस्या बनी रहती है। घोड़े एवं खच्चरों में सामग्री लाने की लागत बहुत अधिक आती है, जिससे वस्तु की कीमत पर प्रभाव पड़ता है। राज्य में आज भी 76 गाँव ऐसे हैं, जहाँ बिजली नहीं पहुँच पायी है। उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (U.P.C.L.) के दावों के बावजूद भी चालू वित्तीय वर्ष में 76 गाँवों में बिजली नहीं पहुँच पायी है, जिस कारण ग्रामीणों को आज भी ठण्ड एवं अन्धेरे में रहना पड़ रहा है। ऐसे गाँवों में उद्यमिता की बात करना बेमानी ही होगी। राज्य के 8800 गाँवों में आज भी पानी की आपूर्ति नहीं हो पायी है, जिस कारण ग्रामीणों को 2–4 किमी. दूर से पानी लाना पड़ता है, जबकि उत्तराखण्ड राज्य के हिमालय से 12 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, नदियों का प्रदेश आज भी पानी का मोहताज है। यदि पानी ही उपलब्ध नहीं होगा, तो वहाँ

खेती, कृषि, बागवानी, लघु एवं कुटीर उद्योगों की बात करना निरर्थक ही होगा, जल के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है।

2. **यातायात की समस्या**– राज्य के 3520 गाँवों में आज भी सड़क नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुए आज 19 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उत्तराखण्ड के सुदूर पहाड़ी इलाकों में सड़कों की समस्या आज भी बनी हुई है। लोक निर्माण विभाग (PWD) के आँकड़ों के अनुसार उत्तराखण्ड में 12225 गाँव (तोक) में रोड़ (सड़क) कनेक्टिविटी है, जिसका मतलब है कि 4,601 गाँवों में आज भी सड़क कनेक्टिविटी नहीं है, जिस कारण ग्रामीण यहाँ से पलायन कर रहे हैं। जहाँ सड़कें ही नहीं हैं, वहाँ पर उद्यमिता या लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की बात करना निरर्थक है। राज्य के कई गाँवों तक सड़क पहुँच तो गई हैं, लेकिन आज भी अनेक सड़कें ऐसी हैं, जिसमें रोडवेज़, के.एम.ओ.यू.एल. एवं जी.एम.ओ.यू.एल. की बसें संचालित नहीं की जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों को पैदल ही यात्रा करनी पड़ती है।

3. **तकनीकि ज्ञान का अभाव**– भारत सरकार द्वारा उद्यमिता विकास एवं जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से किये जाते हैं, जो विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों तक ही सीमित हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन कार्यक्रमों का आयोजन ग्रामीणों के बीच किया जाय, ताकि वे नई–नई जानकारियों से अवगत हो सके। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थिति होने के कारण अधिकारीगण भी गाँवों की ओर जाने की इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं, जिस कारण ग्रामीणों को नई तकनीकों की जानकारी नहीं मिल पाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्यमी निवास करते हैं, वे आज भी परम्परागत तकनीकों का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण उत्पादन में कमी बनी रहती है।

4. **मण्डियों एवं बाजारों का अभाव**– उत्तराखण्ड राज्य पर्वतीय राज्य है। यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में बाजारों एवं मण्डियों का अभाव है, जिस कारण यहाँ के उद्यमियों को वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय हेतु मैदानी क्षेत्रों की मण्डियों एवं बाजारों की ओर जाना पड़ता है, जिस पर किराया–भाड़ा भी बहुत अधिक होता है। उद्यमियों को दूर की मण्डियों तक सामग्री एवं वस्तुओं को पहुँचाने में अत्यधिक ढुलाई–भाड़ा एवं किराया लगने के कारण न्यूनतम लाभ प्राप्त होता है, जिससे उद्यमी हतोत्साहित होकर उद्यमिता के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता है।

5. **वित्त का अभाव**– उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण निवासी की वित्तीय स्थिति कमजोर हैं, जिस कारण वे लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करने की सोच कर भी उद्योगों की स्थापना नहीं कर पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय संस्थानों का भी अभाव है, ग्रामीण व्यक्ति यदि ऋण लेना चाहता है, तो उसे शहरों की ओर जाना पड़ता है। गाँवों में वित्तीय सुविधा न होने के कारण उद्यमियों को साहूकारो का सहारा लेना पड़ता है, साहूकार ब्याज के रूप में एक बड़ी धनराशि वसूल कर लेते हैं, जिससे उद्यमी लाभ की बजाय हानि और ऋण में डूब कर व्यवसाय या उद्योग को बन्द कर देता है। ग्रामीण परिवेश होने के कारण लोगों को बैंक से ऋण लेने की विधियों की जानकारी भी नहीं होती है।

6. **मेलों–प्रदर्शनियों का अभाव**– पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमी यदि कोई उद्योग लगाकर उत्पादन करता भी है, तो उसका प्रचार–प्रसार मेलों, प्रदर्शनियों के माध्यम से नहीं हो पाता है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में मेले एवं प्रदर्शनियाँ न के बराबर लगायी जाती हैं, जिससे नई वस्तुओं को मेलों एवं प्रदर्शनियों में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में यदि कही प्रदर्शनियाँ लगती भी हैं, तो वहाँ पर उसी कस्बे एवं मोहल्ले के लोग ही उसकी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं।

7. **कौशल विकास का अभाव**– पर्वतीय क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति जोखिम उठाकर उद्यम स्थापित करता भी है, तो उसे कुशल एवं योग्य कारीगर नहीं मिल पाता है। अन्य राज्यों एवं स्थानों से कारीगर बुलाने पर उसे अधिक वेतन

व मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है, जिससे वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, इसका प्रभाव विक्रय पर पड़ता है।

8. सूचना प्रौद्योगिकी की समस्या– उत्तराखण्ड राज्य को बने हुए 19 वर्ष हो चुके हैं, आज भी अनेक क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या विद्यमान है। जिस कारण उद्यमियों को समय पर कच्ची सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है या समय पर वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय नहीं हो पाता है। नेटवर्क की समस्या के कारण कई बार उद्यमियों को वस्तुओं के आदेश प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्य में आज भी अनेक गाँव ऐसे हैं, जहाँ मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। कई स्थानों पर वन क्षेत्र एवं वन्यजीवों के कारण भी नेटवर्क नही होता है।

9. नवाचार के ज्ञान का अभाव– आज का युग टैक्नोलॉजी का युग है। हर क्षेत्र में नई–नई तकनीकि आ चुकी है, लेकिन राज्य का अधिकतर भू–भाग पर्वतीय एवं ग्रामीण होने के कारण यहाँ के निवासी एवं उद्यमी आज भी परम्परागत तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उन वस्तुओं की माँग बाजार में ना के बराबर है। पर्वतीय क्षेत्र के लोग शिक्षित न होने के कारण वर्तमान नई तकनीकों को सीखने में अक्षम होते हैं, जिस कारण वे वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन परम्परागत तरीके से करते हैं।

10. राजनैतिक समस्यायें– उत्तराखण्ड राज्य का गठन हुए 19 वर्ष बीत चुके हैं, इन 19 वर्षों में यहाँ 9 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अर्थात् 2 साल के लिए एक मुख्यमंत्री, कहने का तात्पर्य यह है कि हर तीसरे साल में मुख्यमंत्री बदल जाता है। यदि मुख्यमंत्री या सरकार उद्यमिता विकास एवं रोजगार को ध्यान में रखकर कोई योजना बनाती है, तो आने वाली सरकार या मुख्यमंत्री द्वारा उसे अमल में नहीं लाया जाता है। राजनैतिक उठा–पटक के कारण ही राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पा रही है, जब तक सरकार और मंत्रालयों में स्थायित्व नहीं होगा, तब तक राज्य का आर्थिक विकास नहीं हो पायेगा।

11. प्रोत्साहन का अभाव– राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति हिम्मत जुटाकर कोई छोटा उद्यम लगाता भी है, तो उसे सरकार द्वारा संरक्षण नहीं दिया जाता है, न ही उसे प्रोत्साहित किया जाता है। प्रोत्साहन के अभाव में भी लघु एवं कुटीर उद्योग लगाने वाले व्यक्ति आज भी परिचय के मोहताज हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के उद्यमियों को यदि प्रतिवर्ष सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता, तो इससे नौजवानों को भी उद्यम लगाने हेतु प्रेरित किया जा सकता है।

12. प्रचार–प्रसार का अभाव– राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनायी गयी है, जिससे कि नई–नई वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्यमियों की वस्तुओं का प्रचार–प्रसार किया जा सके। राज्य गठन के 19 वर्ष बाद भी आज राज्य का न अपना टी0वी0 चैनल है, न ही सरकार द्वारा उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु कोई विज्ञापन बनाकर प्रसारित किया जाता है। इसी कारण आज भी ग्रामीण लोग उद्यमिता से अनभिज्ञ है।

सुझाव

1. बुनियादी सुविधाओं का विकास– नवोदित राज्य में यदि उद्यमिता का विकास करना है, तो सर्वप्रथम बिजली, पानी एवं सड़क की सुविधाओं का विकास करना होगा। बुनियादी सुविधायें बेहतर होंगी, तो स्वयं व्यक्तियों में उद्यमिता के प्रति आकर्षण बनेगा। सर्वप्रथम सड़कों, बिजली, पानी, अस्पताल, विद्यालय आदि का विकास किया जाना अति आवश्यकीय है।

2. नई–नई तकनीकि ज्ञान की आवश्यकता– उद्यमिता के क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा रखने वाले लोगों को उद्यमिता की नई–नई पद्धतियों, तकनीकों आदि का प्रशिक्षण सरकार की ओर से दिया जाना चाहिये। महाविद्यालयों में उद्यमिता का पाठ्यक्रम संचालित किया जाना चाहिये, जिससे कि युवाओं को उद्यमिता हेतु प्रेरित किया जा सके। राज्य के प्रत्येक शिक्षण संस्थान में उद्यमिता केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिये।

3. यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना– राज्य को बने हुए 19 वर्ष हो चुके हैं, आज भी अनेक ग्रामों को यातायात सुविधायें मुहैय्या नहीं की गयी हैं। यदि इन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई व्यक्ति उद्यमी बनना भी चाहता है, तो उसे यातायात की सुविधा न मिलने के कारण अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सरकार को चाहिये कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र तक बसों, ट्रकों का संचालन किया जाय, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को यातायात सुविधायें मिल सके।

4. मण्डियों एवं बाजारों का विस्तार– राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा कि जहाँ पर फल पट्टी, सब्जी पट्टी, अनाज उत्पादन क्षेत्र है, वहाँ पर मण्डियाँ संचालित की जाय, जिससे कि उत्पादक को अपने घर के पास ही वस्तुओं को विक्रय करने का अवसर मिले, उसे दूर–दराज मण्डियों तक न जाना पड़े। यदि कृषक एवं उद्यमी को विक्रय की सुविधायें घर के पास मिलेंगी, तो उससे लोग उद्यमी बनने के लिए आकर्षित होंगे और उद्यमिता का विकास होगा।

5. मेलों, प्रदर्शनियों का आयोजन– उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 16,800 ग्राम सभायें हैं। अधिकतर लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस क्षेत्र में जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है, उन वस्तुओं एवं सेवाओं की प्रदर्शनियाँ उन क्षेत्रों में लगायी जाये, जैसे कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर प्रत्येक वर्ष अपने यहाँ कृषि प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। कृषि में नवीन तकनीकों एवं बीजों की जानकारियाँ प्रदर्शनी के माध्यम से कृषकों को दी जाती हैं। इसी प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों के कस्बों एवं ब्लॉक स्तर पर की जानी चाहिये, ताकि ग्रामीणों को कृषि, वानिकी, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन आदि के लिए प्रेरित किया जा सके।

6. वित्तीय सहायता– राज्य सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि जो ग्रामीण उद्यम लगाना चाहते हैं, या उद्यमी बनना चाहते हैं, उन्हें आसानी से ऋण मुहैय्या किया जाय, ताकि वे अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। ऋण के लिए सरकार को सिंगल विण्डो की व्यवस्था करनी चाहिये और ऋण के लिए कागजी कार्यवाही को सरल किया जाना चाहिये, जिससे कि प्रत्येक उद्यमी को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके। ऋण की सुविधा से अवश्य ही राज्य के उद्यमियों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

7. सूचना प्रौद्योगिकी का विकास– आज केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारें जहाँ डिजिटल इण्डिया की कल्पना कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तराखण्ड के अनेक क्षेत्र मोबाइल और इण्टरनेट नेटवर्किंग की समस्या से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि राज्य का प्रत्येक गाँव एवं मोहल्ला नेटवर्किंग से जोड़ा जाय, ताकि वहाँ के ग्रामीणों को नेटवर्किंग के कार्यों में सुविधा मिले, साथ ही यदि कोई व्यक्ति उद्यमी बनना चाहता है, तो वह उद्यमिता के क्षेत्र में नेटवर्किंग, ई–मेल आदि का प्रयोग कर अपने व्यवसाय को आसानी से संचालिक कर सके।

8. व्यवसायिक सन्नियमों में शिथिलता– राज्य में कोई भी व्यक्ति उद्योग या उद्यम लगाना चाहता है, तो उसे व्यवसायिक सन्नियमों की जटिलता से जुड़ना पड़ता है। राज्य सरकार को चाहिये कि व्यवसायिक नियम और सन्नियम शिथिल किये जायें, जिससे कि एक आम नागरिक भी आसानी से व्यवसाय का पंजीकरण करा–कर अपने उद्यम को संचालित कर सके। सन्नियमों एवं नियमों में शिथिलता से अवश्य ही उद्यमियों की संख्या में वृद्धि होगी।

9. राजनैतिक हस्तक्षेप में कमी– आज उत्तराखण्ड राज्य का गठन हुए 19 वर्ष हो चुके हैं, इन वर्षों में यहाँ पर नौ मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सरकार बनने का क्रम भी बदलता रहा है, जो भी पार्टी सत्ता में आती है, वह अपने लोगों को फायदा पहुँचाती रही है और दूसरे पक्ष द्वारा दी गयी सुविधाओं को कम करती रही है। इस कारण से

राज्य में उद्यमिता का सतत विकास नहीं हो पा रहा है। राज्य की सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि पार्टी राजनीति से ऊपर उठ कर, जिस तरह से राज्य का विकास एवं उद्यमिता का विकास हो सकता है, वे कार्य करने चाहिये, जिससे निश्चित रूप से राज्य में उद्यमियों की संख्या में वृद्धि होगी और रोजगार बढ़ेगा।

10. कौशल विकास– राज्य की प्रत्येक तहसील एवं ब्लॉकों में कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिये, जिसमें ग्रामीणों को नई–नई तकनीकि का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। राज्य के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आई0टी0आई0 एवं पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिये, ताकि वहाँ के नौजवानों को इन केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा सके। यदि नौजवान प्रशिक्षित होंगे और कुशल होंगे, तो वे अपने उद्यम लगाने के लिए प्रेरित होंगे। आज राज्य को शिक्षित लोगों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है।

11. उद्यमिता विकास कार्यक्रम– राज्य के प्रत्येक ब्लाक में एक उद्यमिता विकास केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिये, जिसमें प्रत्येक ग्राम सभा से उन व्यक्तियों को बुलाना चाहिये, जो उद्यमी बनना चाहते हैं। इस हेतु उन्हें तीन माह, छः माह का प्रशिक्षण देकर उद्यम लगाने में सहायता करनी चाहिये तथा उन्हें प्रबन्धकीय ज्ञान भी दिया जाना चाहिये, जिससे कि वह सफलतापूर्वक अपने उद्यम को संचालित कर सकें। सरकार को इस ओर अवश्य पहल करनी चाहिये। राज्य के प्रत्येक जनपद में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित हैं, लेकिन ये खानापूर्ति के लिए दो दिन या एक सप्ताह का प्रशिक्षण देते है, इतने कम समय में कोई भी व्यक्ति उद्यमिता की परिभाषा भी नहीं समझ पाता है। आवश्यकता प्रशिक्षण के समय को बढ़ाने की है, ताकि कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी उद्यमिता को अच्छी तरह समझ सके और उद्यमी बनने के लिए आकर्षित हो।

12. उद्यमिता प्रोत्साहन– सरकार को चाहिये कि प्रत्येक जनपद में प्रत्येक वर्ष उद्यमियों का सम्मलेन आयोजित किया जाय, इस सम्मेलन में उन व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, जो उद्यमिता के क्षेत्र में अपने जनपद में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उद्यमी के रूप में एक आकर्षक पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाय। इससे अवश्य ही ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी उद्यमी बनने के लिए प्रेरित होंगे।

13. पलायन पर रोक– यदि राज्य के नौजवानों को उनके गाँवों एवं कस्बों में रोकना है, तो उन्हें रोजगार मुहैय्या कराना होगा, तभी यहाँ के नौजवान दिल्ली, मुम्बई एवं कलकत्ता की ओर नहीं जायेंगे। इसके लिए सरकार को स्व–रोजगार एवं रोजगार के लिए ठोस नीति बनानी होगी और उस पर अमल करना होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में सरकार के सहयोग से उद्योगों की स्थापना करनी होगी, उद्यमियों को सुविधायें देनी होंगी।

14. विक्रय हेतु सुविधायें– उत्तराखण्ड सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि जो वस्तुयें राज्य में पैदा की जा रही हैं, उन्हें बेहतर बाजार मिल सके। इसके लिए देश के बड़े–बड़े शहरों में विक्रय केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिये, ताकि यहाँ के उद्यमियों को अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं को विक्रय करने में सुविधा हो और उन्हें उनके कार्य का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

निष्कर्ष

उत्तराखण्ड राज्य नवोदित राज्य है, जिसकी स्थापना नवम्बर, 2000 को हुई। राज्य बनने के बाद से यहाँ से पलायन लगातार बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। उत्तराखण्ड राज्य एक पर्वतीय राज्य है, राज्य का 86 प्रतिशत भू–भाग पर्वतीय है। पर्वतीय क्षेत्रों में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, यहाँ के नौजवान रोजगार की तलाश में लगातार महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यदि इस पलायन को रोकना है, तो इसके लिये राज्य में नये–नये लघु एवं कुटीर उद्योग तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना करनी आवश्यक जान पड़ती है। राज्य में प्राकृतिक सम्पदा का

भण्डार है, आवश्यकता है तो इसके लिए सरल नीति निर्माण की बाहरी उद्योगपतियों को राज्य की ओर आकृषित करने की, उन्हें सुविधायें मुहैय्या कराने की, जिससे कि राज्य में अधिक से अधिक उद्यमों की स्थापना की जा सके। राज्य की 75 प्रतिशत आबादी आज भी उत्तराखण्ड के गाँवों में निवास करती है, पूरे राज्य में 16800 गाँव हैं, जिसमें से आज 3000 गाँव वीरान हो चुके हैं, इन्हें भूतिया गाँव के नाम से जाना जाने लगा है क्योंकि यहाँ का युवा रोजगार की तलाश में गाँव से शहरों की ओर पलायन करता है और बाद में वहीं बस जाता है, फिर पूरे परिवार को अपने ही साथ ले जाता है। पलायन को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक जान पड़ता है कि राज्य को औद्योगीकरण से जोड़ा जाय।

जिस क्षेत्र में जिस उद्योग का कच्चा माल पैदा होता है, वहाँ पर वो उद्योग स्थापित किया जाय। उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत प्रकार की जड़ी–बूटियाँ पैदा होती हैं। इसी तरह के अनेक संसाधन राज्य की सम्पदा में शामिल है। आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें व्यावसायिक रूप दिया जाय, जिससे राज्य की आय तो बढ़ेगी ही, साथ ही राज्य के युवाओं को रोजगार भी मुहैय्या होगा और पलायन पर भी लगाम लगेगी। उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में लघु, सूक्ष्म तथा मध्यम उद्योगों के लिए अपार प्राकृतिक संसाधन हैं। आवश्यकता है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये, 18–19 साल के राज्य में 9 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यदि यहाँ पर राजनैतिक दल स्वयं का हित न देखकर राज्य का हित देखें, तो अवश्य ही राज्य का विकास किया जा सकता है। पलायन आयोग को बने हुए तीन साल हो चुके हैं। आयोग द्वारा भी सरकार को सुझाव दिये गये होंगे, लेकिन सरकारें अपने हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें अमल में नहीं ला पा रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, उत्तराखण्ड को पर्यटन प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, यदि पर्यटन को ध्यान में रखकर कार्य किया जाये, तो विकास किया जा सकता है। आज राज्य में लगभग 10 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार को औद्योगीकरण की योजना बनानी चाहिये, ताकि सभी को घर पर रोजगार दिया जा सके और पलायन को रोका जा सके।

सन्दर्भ

1. अखौरी, एम.पी. उद्यमिता राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास।
2. कोचराम, टी.सी. (1950). इन्टरप्रन्योरियल बिहेवियर एण्ड मोटीवेशन, एक्सप्लोरेशन इन इन्टरप्रिन्योरियल हिस्ट्री।
3. कुकसाल, अरूण (2004). उत्तराखण्ड में उद्यमिता विकास, विनसर पब्लिषिंग कम्पनी देहरादून।
4. कुमार, एस. अशोक (1990). इन्टरप्रन्योरिशिप इन स्मॉल इण्डस्ट्रीज, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
5. पाठक एच.एन. (1979). इन्टरप्रन्योरशिप इन इंडिया, ईस्टर्न इकोनोमिक सेंस वोल्यूम 4.
6. पाठक एच.एन. (1976). इन्टरप्रन्योरशिप इन इंडिया, ईस्टर्न इकोनोमिस्ट वोल्यूम 66, नं. 1.
7. बजाज, जे. एल. (1980). द वर्क ऑफ इण्डस्ट्रीयल स्टेट इन नैनीताल डिस्ट्रीक, एडमिस्ट्रेशन ट्रेनिंग इंस्टीयूट, नैनीताल.
8. वैश्णव, वाई.डी. (1977). कुमाऊँ का इतिहास, मार्डन, बुक स्टोर नैनीताल।
9. मलकानी, बी.सी. (1993). कुमाऊँ की अर्थव्यवस्था, मॉडर्न बुक स्टोर नैनीताल।
10. मठपाल, यशोधर (1997). उत्तरांचल का काष्ठ शिल्प ग्रामीण एवं लघु उद्योग आयोग, श्रीनगर गढ़वाल।
11. मिश्रा, एस.पी. (1996). उत्तराखण्ड में उद्यमिता एवं उद्यम संभावनायें, उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ।
12. मित्तल, ए.के. (1986). ब्रिटिश एडमिस्ट्रेशन इन कुमाऊँ हिमालया, मित्तल पब्लिकेशन, दिल्ली।
13. मिश्रा, डी.एन. (1990). इन्टरप्रन्योर्स में इन्टरप्रन्योरशिप डेवलपमैन्ट एण्ड प्लानिंग इन इंडिया, चुग पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
14. अकबर, एम. (1990). इन्टरप्रन्योरशिप एण्ड इंडियन मुस्लिम, मनाल्क पब्लिकेशन, जयपुर, नई दिल्ली।

15. [illegible] (१९८८) [illegible] पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

16. शर्मा, एस.वी.एस. (१९७८) [illegible] पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

17. सिंह, एन.पी. (१९७८) [illegible] दिसम्बर, १९७८

18. सिंह, नागेन्द्र पी. [illegible] नई दिल्ली।

१. [illegible]

वेबसाइट संदर्भ सूची

1. http://[illegible]

2. http://[illegible]

3. http://hi.wikipedia.org/wiki

4. http://[illegible]

5. https://www.[illegible].org/

[illegible]